संख्याः 18 /XXVii(7)/2006

प्रेषक,

राधा रतूड़ी।
सचिव,वित्त,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

आयुक्त परिवहन/ आबकारी/ वाणिज्य कर,
उत्तरांचल सरकार,देहरादून ।

वित्त(वे0 आ0– सा0 नि0)–07 देहरादून, दिनांकः 17 अप्रैल, 2006

विषयः–प्रवर्तन कार्य एवं जांच में लगे परिवहन, आबकारी एवं वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों को मोबाइल फोन अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन को प्राप्त प्रस्ताव पर प्रदेश के विभाग जो प्रवर्तन कार्य में लगे हैं और वाहन एवं समग्री के प्रदेश के अन्दर व बाहर लाये जाने, करावंचन की जांच तथा अनियमित वस्तु/वाहन लाने के कार्य हेतु प्रदेश के विभिन्न स्थानों में चेक पोस्ट खोलकर वाहन/वस्तुओं की जांच कार्य में लगे है उन विभागों में अधिकारियों के मध्य त्वरित संम्पर्क की अनिवार्यता को देखते हुए शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि परिवहन, आबकारी एवं वाणिज्य कर विभाग के प्रवर्तन प्रभाग के प्रभारी अधिकारी एवं जांच चौकी (चैक पोस्ट) प्रवर्तन दल प्रभारी को सरकारी व्यय पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन एक–एक मोबाइल फोन की सुविधा अनुमन्य करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते :–

(i) मोबाइल फोन की उक्त शासकीय सुविधा केवल उक्त विभागों के प्रवर्तन दल के प्रभारी एवं जांच चौकी के प्रभारी अधिकारी को ही अनुमन्य होगी।

(ii) उक्त दल/चैक पोस्ट के लिये जिन प्रभारी अधिकारियों के पास अपने मोबाइल सैट हैं उन्हें अधिकतम रू0 500/– प्रतिमाह की सीमा में कॉल दरों की धनराशि की उक्त मोबाइल से राजकीय कार्य हेतु किये गये कॉल्स के लिये विभागीय बजट से प्रतिपूर्ति की जायेगी।

(iii) परन्तु जिन प्रभारी अधिकारियों के पास अपने मोबाइल सैट नहीं हैं उनके लिए अधिकतम रू0 3500/–की लागत के मोबाइल फोन केवल एक बार क्रय करने की अनुमति होगी तथा ऐसे अधिकारी का अन्यत्र स्थानान्तरण होने पर उक्त सैट प्रवर्तन दल/चैक पोस्ट से संम्बधित अन्य प्रभारी अधिकारी को हस्तान्तरित कर दिया जायेगा।

(IV) संबंधित विभाग मोबाइल फोन लेने के पूर्व यह अवश्य देखेगें कि एक विभाग में एक ही समूह के एक ही नेटवर्क के ग्रूपिंग के मोबाइल की व्यवस्था करें ताकि आपस में कॉल करने पर कम से कम धनराशि पर निशुल्क संचार हो सके और केवल एक बार मोबाइल सैट का ही राज्य सरकार पर व्यय भार आये तथा न्यूनतम दर पर मोबाइल सैट का अधिक उपयोग हो सके। यदि इस प्रकार के नेटवंकिग का विभाग द्वारा उपयोग मितव्ययी पाया जाता है तो बिन्दु (ii) के अनुसार प्रतिपूर्ति नहीं की जायेगी और उक्त श्रेणी में आने वाले सभी अधिकारियों को नेटवर्क से ही जोड़ा जाएगा ।

(V)उक्त विभागों के प्रवर्तन दल तथा चैक पोस्ट के प्रभारी के अलावा किसी अन्य अधिकारी को उक्त सुविधा अनुमन्य नहीं होगी।

2– उक्त विभागों के विभागाध्यक्षों के द्वारा एक वर्ष के बाद उक्त व्यवस्था से करावंचन रोकने तथा राजस्व अर्जन की व्यवस्था की समीक्षा करके उक्त व्यवस्था में सुधार एवं इसे बनाये रखने अथवा हटाने के संबंध में अपनी संस्तुति शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

3– इस संबंध में होने वाले समस्त व्यय को संबंधित विभाग के सबंधित वित्तीय वर्ष के आय व्ययक में 13–टेलीफोन पर व्यय की मद में प्राविधानित बजट व्यवस्था से ही वहन किया जायेगा।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव,वित्त ।

संख्याः 18 (1)/XXVii(7)/2006 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1.महालेखाकार उत्तरांचल,ओबैराय भवन,सहारनपुर रोड,माजरा,देहरादून।
2.प्रमुख सचिव, संस्थागत वित्त, उत्तरांचल शासन।
3.प्रमुख सचिव, परिवहन, उत्तरांचल शासन।
4.सचिव, आबकारी, उत्तरांचल शासन।
5.आबकारी/परिवहन/ संस्थागत वित्त अनुभाग–8 ।
6. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी,उत्तरांचल ।
7.वरिष्ठ तकनीकी निदेशक,एन0आई0सी0 देहरादून ।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव